फर्द अहकाम

जगजीत सिंह बनाम इन्द्रजीत सिंह

नाम न्यायालय AC-II

केस संख्या दावा- 162/08

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	28/12/21	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्ष उ०। प्रा०पत्र O1R10 का मय पत्रावली अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन व प्रस्तुत जमाबंदी से जाहिर हुआ कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक प्रतिवादीगण व वादी के पिता का पृथक-पृथक खाता कायम किया जा चुका है। वादी जगजीत सिंह अपने पिता को प्राप्त आराजीयात व खाते में से ही हिस्से का अधिकारी है। अतः सभी पक्षकारों को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वादी का वाद इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि वादी आगामी एक माह की अवधि में अपने पिता को प्राप्त हिस्से एवं खाते की भूमि के खसरा नं० पर नवीन (नया) वाद प्रस्तुत कर सकता है। तब तक के लिये खाता सं० पुराना- 3 व खाता सं० नया 84 के खसरा नं० 279 रकबा 0.1700 है०, खसरा नं० 280 रकबा 0.2500 है०, खसरा नं०- 281 रकबा 0.3700, 282 रकबा 0.0600, खसरा नं०- 404 रकबा 0.3800, खसरा नं० 405 रकबा 0.5500, ख०नं० 414 रकबा [illegible] रकबा 0.1200 ख०नं० 416 [illegible] 0.1000, ख०नं० [illegible] रकबा 0.[illegible] ख०नं० 421 रकबा 0.[illegible] ख०नं० 422 [illegible]

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:17:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

जगजीत सिंह बनाम सर्वदमन सिंह

मुकदमा संख्या / वर्ष दावा - 162/08 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	0.4300, ख०न० 423 रकबा 0.3600, ख०न० 424 रकबा 0.6100, ख०न० 425 रकबा 0.0400 ख०न० 426 रकबा 0.1100, खसरा न० 427 रकबा 1.0200, खसरा न० 428 रकबा 0.5200, खसरा न० 429 रकबा 0.6100, खसरा न० 430 रकबा 0.2400 खसरा न० 431 रकबा 0.2000, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.3700 व खसरा न० 436 रकबा 0.4600 कुल खसरे 23, कुल रकबा 8.7500 है० ग्राम खोरी रोपाडा, पटवार हल्का नुनिपावास, भू.अ.नि. हो० नुनिपावास तह० सांगानेर जिला जयपुर स्थित आराजीयात हाल भूमि की आगामी एक माह तक मौका स्थिति राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये जाते हैं। जिससे कि वाद बाहुल्यता न बढ़े। वादी का वाद खारिज किये जाने की ... मैसर्स श्री कृष्णा ... शिप ... डवलपर्स पार्टनरशिप ... ... 01R10 भी अपोजणीय होने से खारिज किया।	
	सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:17:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

स्वा. 162/08

जगजीतसिंह बनाम सर्वदमन सिंह

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		जाता है। इतना लिखे जाने पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत स्थगित किए जाने कार्यवाही पेश किया गया। संलग्न पत्रावली है। आदेश लिखवाये जाने पश्चात प्रार्थना पत्र बाबत स्थगित किये जाने कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली मैनल शुमार होकर रफा नंबर को कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28/12/21 को लिखाया जाकर जरिए इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:17:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner